F.No.3-1/2013-PCI

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Annual Report on the Activities of the Council during 2021-2022)
(1st April, 2021 to 31 March, 2022)

The Pharmacy Council of India (PCI) is a body constituted under Section 3 of the Pharmacy Act, 1948 to regulate the profession and practice of Pharmacy. The Central Council consists of the following members, namely:-

a) six members, among whom there shall be at least one teacher of each of the subjects, pharmaceutical chemistry, pharmacy, pharmacology and pharmacognosy elected by the University Grants Commission from among persons on the teaching staff of an Indian University or a college affiliated thereto which grants a degree or diploma in pharmacy;

b) six members, of whom at least four shall be persons possessing a degree or diploma in, and practising pharmacy or pharmaceutical chemistry, nominated by the Central Government;

c) one member elected from amongst themselves by the members of the Medical Council of India;

d) the Director General, Health Services, ex officio or if he is unable to attend any meeting, a person authorized by him in writing to do so;

dd) the Drugs Controller, India, ex officio or if he is unable to attend any meeting, a person authorised by him in writing to do so;

e) the Director of the Central Drugs Laboratory, ex officio;

f) a representative of the University Grants Commission and a representative of the All India Council for Technical Education;

g) one member to represent each State elected from amongst themselves by the members of each State Council, who shall be a registered pharmacist;

h) one member to represent each State nominated by the State Government, who shall be a registered pharmacist:

OBJECTIVES OF THE COUNCIL

The Council is responsible for -

- Prescribing minimum standards of education required for qualification as a pharmacist;
- Uniform implementation of educational standards;
- Approval of course of study and examination for pharmacists;
- Withdrawal of approval;
- Approval of qualifications granted outside India; and
- Maintenance of Central Register of pharmacists.

The Central Council constitutes an Executive Committee consisting of the President, the Vice President and five other members elected from amongst its members. In addition, the following other committees are also functioning in the Council:-

a) The Education Regulations Committee
b) The Professional Pharmacy and Public Relations Committee
c) The Law Committee
d) The Finance Committee

The following are the office bearers and the officers of the Council during the year under report:-

1. Prof. B. Suresh- President
2. Dr. Shailendra Saraf- Vice- President
3. Smt. Archna Mudgal- Registrar-cum-Secretary
4. Shri Anil Mittal- Deputy Secretary

ACTIVITIES OF THE COUNCIL DURING 2021-2022

1. Inspections arranged

The Council arranged 1,149 inspections of diploma, degree, Pharm.D., M.Pharm and B.Pharm (Practice) institutions during the period under report.

2. Meetings of the Council:-

A) Central Council Meeting held on:-

- 6th & 7th April, 2021 (3rd Online)
- 10th June, 2021 (4th Online)

B) Executive Committee Meetings held on:-

- 18th January, 2021 (44th Online)
- 8th February, 2021 (45th Online)
- 15th February, 2021 (46th Online)
- 4th March, 2021 (47th Online)
- 15th March, 2021 (48th Online)
- 24th March, 2021 (49th Online)
- 30th March, 2021 (50th Online)
- 19th May, 2021 (51st Online)
- 4th June, 2021 (52nd Online)
- 23rd June, 2021 (53rd Online)
- 27th June, 2021 (54th Online)
- 30th June, 2021 (55th Online)
- 2nd August, 2021 (56th Online)
- Joint meeting of EC & ERC held on 18th August, 2021 (57th Online)
- 19th August, 2021 (58th Online)
- 21st September, 2021 (59th Online)
- 12th October, 2021 (60th online meeting)
- 3rd December, 2021 New Delhi
- 3rd January & 5th January, 2022 (61st online meeting)
- 31st January, 2022 (62nd online meeting)
- 22nd February, 2022 (63rd online meeting)
- 2nd March, 2022 (64th online meeting)

Outcome of the Meetings:-

- Approval of 2324 Diploma and Degree institutions was extended u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.
- 1441 new Diploma and Degree institutions were granted approval u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.
- 12 New Pharm.D institutions were granted approval for the conduct of course.
- 3 New Pharm.D (Post Baccalaureate) institutions were granted approval/ extended approval u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948.

3. Present status of Approved Pharmacy Institutions upto in the country:-

Courses	Approved institutions	Admission capacity
Diploma in Pharmacy	3333	1,99,800
Degree in Pharmacy	2411	1,74,971

4. Continuing Education Programmes

- Continuing Education Programmes (CEPs) play an important role in the growth of the knowledge bank of the pharmacists. The PCI from its own resources is giving financial assistance of Rs.25, 000/- per course subject to ceiling of 12 course per annum to the State Pharmacy Councils for the conduct of CEPs for pharmacists from December, 2014. The PCI also gives grants to the pharmacy institutions for conducting CEPs for pharmacy teachers upto Rs.3.00 lakhs per programme.

5. Scheme for Capacity Building Industrial Training (CBIT) Program for Pharmacy Teachers

---

- Pharmacy Council of India (PCI) & Indian Pharmaceutical Alliance (IPA) started the Scheme for Capacity Building Industrial Training (CBIT) Program for Pharmacy Teachers from approved institutes to be nominated in reputed Pharmaceutical Companies for a period of one month for updating their skills and knowledge in the latest advances that have taken place in Pharma Sector and particularly in the Pharmaceutical industry.
- The PCI give the grants to the pharmacy teacher through the institutions, have a ceiling limit of Rs. 50,000.00 (Fifty Thousand only).

6. Implementation of Right to Information Act, 2005

- The Council has implementing the above Act in letter and spirit. The information sought is promptly given within the stipulated time.

7. Revised Budget Estimates

- The Revised Budget Estimate of the Council for the year 2021-2022 is Rs. 7,626.89 lakhs.

8. Pharmacists Day celebration

- The poster for Pharmacists Day (25th September, 2021) was launched. Further the said poster was published in Newspaper.

9. PCI Website

- PCI website is updated on daily basis.

10. PCI's Executive committee and Central Council meetings.

- Various meetings of the PCI Executive Committee and Central Council has been conducted online.

11. Automation of PCI.

- The PCI has taken the following initiatives -
  1. Online submission of application by pharmacy institutions to PCI for consideration of approval u/s 12 of the Pharmacy Act for the purpose of registration as pharmacist.
  2. Online submission of affiliation fee and inspection fee.
  3. Inspections are arranged through software.
  4. Agenda for meetings is digitalized.
  5. The decisions to institutions are also conveyed online.
  6. Pharmacy faculty working in various pharmacy institutions is now registered on the PCI portal.
  7. PCI inspectors are required to register on PCI portal.
  8. The EC/CC meetings are now conducted online.
  9. Digitalization of old record is under process.

12. Approval Process

- Approval process under the Pharmacy Act is streamlined and transparent.
- Availability of faculty data with their qualification, experience, place of working etc. so as to restructure the Council's policy as per the need of the profession.

(ARCHNA MUDGAL)
Registrar-cum-Secretary

preeti/English annual report (1 april 2021 to 31 march 2022)/23.6.2022/10.25am

<u>मिसिल संख्याः **3-1/2001**-भा. भे. प.</u>

भारतीय भेषजी परिषद्

(2011-2012 के दौरान परिषद् की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट)
(1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022)

भेषजी व्यवसाय और अभ्यास को विनियमित करने के लिए भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् की केन्द्रीय परिषद् का गठन किया गया है। केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से बनी है जो इस प्रकार है :-

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसी भारतीय विश्वविद्यालय या उससे सहबद्ध किसी महाविद्यालय के, जो भेषजी में उपाधि या डिप्लोमा प्रदान करता है, अध्यापन कर्मचारिवृन्द में से निर्वाचित, छह सदस्य, जिसमें से भेषजिक रसायन, भेषजी, भेषगुण विज्ञान और भेषज अभिज्ञान विषयों में से प्रत्येक विषय का कम से कम एक अध्यापक होगा ;

ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह सदस्य, जिसमें से कम से कम चार ऐसे व्यक्ति होंगे, जिसके पास भेषजी या भेषजिक रसायन में कोई उपाधि या डिप्लोमा है और जो भेषजी या भेषजिक रसायन में व्यवसाय कर रहे हों ;

ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्यों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित एक सदस्य ;

घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन्त, अथवा यदि वह किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो ऐसा व्यक्ति, जिसे उसने उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है ;

घघ) भारत का औषधि नियंत्रक, पदेन, अथवा यदि वह किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो ऐसा व्यक्ति जिसे उसने उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है ;

ड.) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला का निदेशक, पदेन ;

च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि ;

छ) प्रत्येक रजिस्ट्री राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो सदस्य जो रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ और जो प्रत्येक राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित होगा ;

ज) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जो रजिस्ट्रीकृत भेषजज्ञ होगा और राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

परिषद् के उद्देश्य

परिषद् की जिम्मेदारी है :-

- ❖ भेषजज्ञ की योग्यता के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तर निर्धारित करना।
- ❖ शिक्षा स्तर को एक समान लागू करना।
- ❖ भेषजज्ञ के अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा का अनुमोदन करना।
- ❖ अनुमोदन को वापिस लेना।
- ❖ भारत के बाहर की फार्मेसी योग्यता का अनुमोदन करना।
- ❖ भेषजज्ञों के केन्द्रीय रजिस्टर का रखरखाव।

केन्द्रीय परिषद् अपने सदस्यों में से ही कार्यकारिणी समिति का गठन करती है जिसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित सात सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त परिषद् की निम्नलिखित समितियां हैं :-

(अ) शिक्षा विनियम समिति
(ब) व्यावसायिक भेषजी एवं जन संबंधी समिति
(स) विधि समिति
(द) वित्त समिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् के निम्नलिखित अधिकारी एवं ऑफिस बियरर्स हैं :-

1. प्रोफेसर बी. सुरेश - अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ - उपाध्यक्ष
3. श्रीमती अर्चना मुदगल - निबन्धक-एवं-सचिव
4. श्री अनिल मित्तल - सहायक सचिव

2021-2022 के दौरान परिषद् की गतिविधियां :-

1. निरीक्षण किये

- इस दौरान परिषद् ने 261 डिप्लोमा, डिग्री, फार्म.डी, एम.फार्म और बी.फार्म. (प्रैक्टिस) संस्थानों के निरीक्षण किये।

2. केन्द्रीय परिषद् तथा इसकी समितियों की बैठकें :-

(क) केन्द्रीय परिषद् की आयोजित बैठकें -

- 6 और 7 अप्रैल, 2021 (तृतीय ऑनलाइन)
- 10 जून, 2021 (चतुर्थ ऑनलाइन)

(ख) कार्यकारिणी समिति की बैठकें -

- 18 जनवरी, 2021 (44 वीं ऑनलाइन)
- 8 फरवरी, 2021 (45 वीं ऑनलाइन)
- 15 फरवरी, 2021 (46 वीं ऑनलाइन)
- 4 मार्च, 2021 (47 वीं ऑनलाइन)
- 15 मार्च, 2021 (48 वीं ऑनलाइन)
- 24 मार्च, 2021 (49 वीं ऑनलाइन)
- 30 मार्च, 2021 (50 वीं ऑनलाइन)
- 19 मई, 2021 (51 वीं ऑनलाइन)
- 4 जून, 2021 (52 वीं ऑनलाइन)

- 23 जून, 2021 (53 वीं ऑनलाइन)
- 27 जून, 2021 (54 वीं ऑनलाइन)
- 30 जून, 2021 (55 वीं ऑनलाइन)
- 2 अगस्त, 2021 (56 वीं ऑनलाइन)
- कार्यकारिणी समिति एवं शिक्षा अधिनियम समिति की संयुक्त गोष्ठी 18 अगस्त, 2021 (57वीं ऑनलाइन)
- 19 अगस्त, 2021 (58वीं ऑनलाइन)
- 21 सितम्बर, 2021 (59वीं ऑनलाइन)

बैठकों में लिए गए निर्णय :-

- भेषजी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत 2324 डिप्लोमा एवं डिग्री संस्थानों का अनुमोदन बढ़ाया गया।
- 1441 नए डिप्लोमा एवं डिग्री संस्थानो को भेषजी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदन दिया गया।
- 12 नए फार्म.डी. संस्थानो को पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदन दिया गया।
- 3 नए फार्म.डी.(पोस्ट बक्लोरिएट) संस्थानों को पाठ्यक्रम चलाने के लिए भेषजी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदन दिया गया/बढ़ाया गया।

3. वर्तमान में देश में अनुमोदित भेषजी संस्थान :-

पाठ्यक्रम	अनुमोदित संस्थान	प्रवेश क्षमता
भेषजी डिप्लोमा	3333	1,99,800
भेषजी डिग्री	2411	1,74,971

4. सतत् शिक्षा कार्यक्रम :-

- सतत् शिक्षा कार्यक्रम भेषजज्ञों के ज्ञान में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सतत् शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय भेषजी परिषद् अपने संसाधनों से राज्य भेषजी परिषदों को दिसम्बर, 2014 से 25,000/- रूपये प्रति पाठ्यक्रम देती है अधिकतम 12 पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष की शर्त पर। भारतीय भेषजी परिषद् भेषजी संस्थानों को भेषजी शिक्षकों के लिए सतत् शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक कार्यक्रम के 3.00 लाख रूपये देती हैं।

5. भेषजी शिक्षकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण क्षमता भवन योजना कार्यक्रम

- फार्मा क्षेत्र और विशेषरूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग में हुई नवीनतम प्रगति में उनके कौशल और ज्ञान को अद्यतन करने के लिये फार्मेसी कांउसिल ऑफ इण्डिया और इण्डियन फार्मास्यूटिकल एलायंस ने अनुमोदित संस्थानों से फार्मेसी शिक्षकों के लिए एक महीने की अवधि हेतु प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल कंपनियों में क्षमता निर्माण औद्योगिक प्रशिक्षण (सी.बी.आई.टी.) कार्यक्रम की योजना शुरू की है।
- भारतीय भेषजी परिषद् भेषजी संस्थानों के माध्यम से भेषजी शिक्षकों को 50,000 रूपये (केवल पचास हजार) अनुदान के रूप में देती है।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करना ।

- परिषद् ने उपरोक्त अधिनियम को पूरी तरह लागू किया है। जो सूचना एवं जानकारी मांगी गई उसका जवाब निर्धारित समय के अन्दर दिया गया।

7. अनुमानित संशोधित बजट :-

- परिषद् का वर्ष 2021-2022 के लिए अनुमानित संशोधित बजट 7626.89 लाख रूपये है ।

8. भेषजज्ञ दिवस मनाना

- भेषजज्ञ दिवस मनाने के लिए 25 सितम्बर 2021 को एक पोस्टर जारी किया गया जिसे अखबार में भी प्रकाशित किया गया।

9. भारतीय भेषजी वेबसाइट

- भारतीय भेषजी परिषद् की वेबसाइट को दैनिक आधार पर अद्यतन बनाया जाता है।

10. भारतीय भेषजी परिषद् की कार्यकारिणी समिति एवं केन्द्रीय परिषद् की की गोष्ठिया

- भारतीय भेषजी परिषद् की कार्यकारिणी समिति एवं केन्द्रीय परिषद् की विभिन्न गोष्ठियां ऑनलाइन आयोजित की गई।

11. भारतीय भेषजी परिषद् का स्वचालन

- भारतीय भेषजी परिषद् ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं –

   1. भेषजी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदन के विचार हेतु भेषजी संस्थानों के आवेदनों को भारतीय भेषजी परिषद् में ऑनलाइन जमा करना।
   2. संबंधन शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क ऑनलाइन जमा करना।
   3. निरीक्षणों का आयोजन साफ्टवेयर द्वारा।

...5

4. गोष्ठियों का एजेंडा डिजिटलाइज्ड।

5. संस्थानों को निर्णय भी ऑलाइन भेजे गये।

6. भेषजी संस्थानो में कार्यरत भेषजी शिक्षकों का पी सी आई पोर्लट पर पंजीकरण।

7. भारतीय भेषजी परिषद् के निरीक्षकों का पी सी आई पोर्लट पर पंजीकरण अनिवार्य।

8. कार्यकारिणी समिति एवं केन्द्रीय परिषद् की गोष्ठियां अब ऑनलाइन आयोजित।

9. पुराने दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन जारी है।

12. अनुमोदन प्रक्रिया

- भेषजी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदन प्रक्रिया स्पष्ट एवं पारदर्शी ।
- व्यवसाय की आवश्यकतानुसार परिषद् की नीति का ढांचागत नवीनीकरण जैसे शिक्षकों की उपलब्धता का विवरण उनकी योग्यता, अनुभव, कार्यस्थल आदि के साथ।

(अर्चना मुदगल)
निबन्धक-एवं-सचिव

नरेश/annual report hindi 2021-2022/hd-7/p.1-5/23.6.2022